



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.वी.-अ.-11062026-273356
CG-WB-E-11062026-273356

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2892]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2892]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 11 जून, 2026

का.आ. 2990(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989, [रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित] की धारा 2 की खण्ड (7क) और धारा 20छ की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी में विशेष रेल परियोजना अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों में "पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा" के संबंध में लोक प्रयोजन के लिए, भूमि अधिग्रहण हेतु स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आर्बिट्रैटर के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. स.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण	आर्बिट्रेटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा	हावड़ा	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), हावड़ा	मंडलीय आयुक्त, प्रेसिडेंसी मंडल, कोलकाता
2.		हुगली	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), हुगली	मंडलीय आयुक्त, बर्द्धमान मंडल
3.		पूर्व बर्द्धमान	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व बर्द्धमान	
4.		पश्चिम बर्द्धमान	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पश्चिम बर्द्धमान	

[फा. सं. के के के/एन/ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर/658 भाग--II]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(Eastern Railway)

NOTIFICATION

Kolkata, the 11th June, 2026

S.O. 2990(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 and Sub-Section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989, [as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008] the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the Table below as **Competent Authority** to perform the functions as such authority and in column (5) of the Table below as **Arbitrator** to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette with respect to land acquisition for the Special Railway Project namely, “**New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west.**” in the State of West Bengal relating to the districts mentioned in column (3) of the said Table for the public purpose.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority Land Acquisition	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west	Howrah	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Howrah	Divisional Commissioner, Presidency Division, Kolkata
2.		Hooghly	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Hooghly	Divisional Commissioner, Bardhaman Division
3.		Purba Bardhaman	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Bardhaman	
4.		Paschim Bardhaman	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Paschim Bardhaman	

[F. No. KKK/EN/East West Corridor/658 Pt-II]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con